Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013
(BHADRA 15, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th September, 2013

No. 18—HLA of 2013/61.—The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 18—HLA of 2013

THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) HARYANA AMENDMENT BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Act, 2013. Short title.

2. For section 5A of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, Substitution of section 5A of Punjab Act 18 of 1961

1961, the following section shall be substituted, namely:-

"**5A.** (1) A panchayat may, gift, sell, exchange or lease the land in shamilat deh vested in it under this Act to such person, on such terms and conditions, as may be prescribed :

Provided that the lease of land by way of allotment for cultivation purposes may be given for a period upto 99 years only to a person who does not own any land for agriculture on the date of the commencement of this Act and has been the original lessee either under the provisions of the East Punjab Utilisation of Lands Act, 1949 (Punjab Act 38 of 1949) or under the provisions of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953, for a period not less than seven years and has remained in continuous cultivating possession of the leased land upto the 24th September, 1986, with corresponding entries in the revenue record :

Provided further that the lessee shall make one time payment, as may be prescribed, for the period he remained in cultivating possession without making payment of lease money.

Explanation.— "Person" for the purpose of this sub-section shall include legal heirs of the original allottee.

(2) The gift, sale, exchange or lease of the land in shamilat deh already made shall be deemed to have been made under sub-section (1).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas several landless persons, who needed to be rehabilitated, were allotted uncultivable lands under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949 and the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953. These lessees made these uncultivable lands cultivable and arable with their toil and hard work. After expiry of lease period, these lessees remained in possession of the lands upto 24.09.1986 and thereafter they were evicted at different point of time due to court orders. The Hon'ble Supreme Court on 24.09.1986, in one of such matter, 'Bodhni Chaman Ex-servicemen Cooperative Tenants Farming Society Ltd. etc. *Versus* State of Haryana and others' had observed that Government may allot another piece of land elsewhere to the petitioners considering their pitiable condition. However, the necessary rehabilitation measures could not be undertaken by the Government at that point of time and these erstwhile lessees were rendered landless with no means of subsistence. Being a Welfare State, it is the responsibility of the Government to rehabilitate such persons due to the exceptional nature of their hardship as a result of their displacement from the agriculture land which they had been cultivating since generations as the only means of livelihood. It has, therefore, been proposed by way of present amendment that the such landless original allottees or their legal heirs, who remained in continuous cultivating possession upto 24.09.1986 may be allotted the said land in shamilat deh on further lease, by way of allotment, for a period upto 99 years after recovering use and occupation charges of the period for which they remained in possession even after expiry of their lease period.

Hence this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 6th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013का विधेयक संख्या 18 – एच० एल० ए०

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2013

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है ।

1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 5क का प्रतिस्थापन ।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"5क (1) कोई पंचायत इस अधिनियम के अधीन अपने में निहित शामलात देह में भूमि, यथाविहित ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, ऐसे व्यक्ति को दान, विक्रय, आदान-प्रदान या पट्टे पर दे सकती है :

परन्तु खेती के प्रयोजनों के लिए आबंटन द्वारा भूमि का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके स्वामित्व में इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को कृषि करने हेतु कोई भूमि नहीं है, केवल 99 वर्ष तक की अवधि के लिए तथा या तो पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पंजाब अधिनियम 38) के उपबंधों के अधीन या पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अधीन कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए मूल पट्टेदार रहा है तथा राजस्व अभिलेख में समरूपी प्रविष्टियों सहित 24 सितम्बर, 1986 तक पट्टे पर दी गई भूमि का खेती करने का कब्जा निरंतर रहा है, दिया जा सकता है :

परन्तु यह और कि पट्टाधारी ऐसी अवधि जिसके लिए वह पट्टाधन का भुगतान किए बिना खेती करने के लिए भूमि पर काबिज रहा है, यथाविहित, एकमुश्त भुगतान करेगा ।

व्याख्या.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" मूल आबंटिती के विधिक वारिसों में शामिल होगा ।

(2) शामलात देह में पहले से ही दान में दी गई, विक्रय की गई, आदान-प्रदान की गई या पट्टा पर दी गई भूमि उप-धारा (1) के अधीन दी गई समझी जाएगी ।"

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह कि बहुत से भूमिहीन व्यक्तियों को, जिन्हें पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक था, को पूर्वी पजाब भूमि उपयोगिता अधिनियम, 1949 तथा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत गैर काश्ता भूमि अलाट की गई थी। इन पटटेदारों ने इस गैर काश्ता भूमि को अपनी मेहनत तथा कठिन परिश्रम से काश्त तथा कृषि योग्य बनाया। पट्टावधि की समाप्ति उपरान्त, ये भूमि दिनांक 24.09.1986 तक इन पट्टेदारों के कब्जा में रही और उसके पश्चात् न्यायालय आदेशों के कारण विभिन्न समय पर उन्हे बेदखल कर दिया गया। दिनांक 24.09.1986 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई मामलों में से एक 'बौधनी चमन एक्स– सर्विसमैन कोपरेटिव टैनेन्टस फार्मिंग सोसायटी लिमिटिड इत्यादि बनाम हरियाणा सरकार व अन्य' के मामले में पर्यवेक्षित किया कि सरकार वादीगण को उनकी दयनीय स्थिति को विचार में रखते हुए कहीं दूसरी जगह अन्य भूमि का टुकडा अलाट कर सकती है । यद्यपि सरकार द्वारा उस समय पुनर्वास करना हेतु आवश्यक पग नहीं उठाए जा सके और इन पूर्व पट्टेदारों को बिना किसी आजीविका के भूमिहीन कर दिया गया। हरियाणा चूंकि एक कल्याणकारी राज्य है अतः कई पीढ़ियों से काश्त की जा रही अपनी भूमि से विस्थापित इन पट्टेदारों की विशेष दयनीय परिस्थिति को देखते हुए इनका पुनर्वास करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए वर्तमान संशोधन के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे भूमिहीन मूल पट्टेदारों या उनके कानूनी वारिसों, जो दिनांक 24.09.1986 तक काश्तकार रहे हैं, को शामलात देह की ऐसी भूमि पट्टा अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी उनसे कब्जे की अविधि का शुल्क वसूल करके 99 वर्ष तक की अवधि के लिए आगे पट्टे पर अलाट किया जाना प्रस्तावित है।

अतः यह बिल प्रस्तुत है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।

51477—H.V.S.—H.G.P., Chd.